कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 1883/15/मानचित्र–अनुभाग/जोन–सी./14 दिनांक : 18 :12 : 2014

सेवा में,

मैसर्स आर0आर0 बिल्डर्स,

द्वारा डायरेक्टर श्री राहुल मित्तल,

निवासी–05–ए. सिटी पैलेस टी0पी0 नगर, मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 05–07–2014 ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–25/14 873/13 के सन्दर्भ मे आपके प्रस्तावित समूह आवास निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम मलियाना, बागपत रोड़, मेरठ अन्तर्गत वासुग्रीन कालोनी में खसरा संख्या–82, 84 व 76 कुल क्षेत्रफल–2900.00 वर्ग मी0 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियम के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (औकूयपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघंन उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नकः– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपिः– जोनल अधिकारी (प्रवर्तन खण्ड) जोन–सी को प्रेषित।

18/12/14

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Scanned by CamScanner